फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

का.प्रा.पं. 11/23 कजोड़ बनाम उपराजी

दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13-8-25	पत्रावली प्रस्तुत। व.क. उप। अप्रार्थी पक्ष। ता 4 6/3 से जवाब पेश नहीं किया है अत: जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस दिनांक 21-8-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
21-8-25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थिगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/8/25 को पेश हो।	(हस्ताक्षर) प्रार्थीगण 25/8/25
25-08-25	पत्रावली प्रस्तुत। व.क. उप.। अप्रार्थी की अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी का.ता. पेशी पर मौखिकरूप से बहस करे। पत्रावली दिनांक 29/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
29-08-25	पत्रावली प्रस्तुत। व.क. उप.। वास्ते बहस दिनांक 8/9/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
8-9-25	पत्रावली प्रस्तुत। व.क. उप.। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पूरी गई। वास्ते आदेश दिनांक 9-9-25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
9-9-25	पत्रावली प्रस्तुत। व. [illegible] स्वीकार किया जाता है। [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:54:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी: सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 11/2023

कजोड बनाम ग्यारसी
प्रार्थना पत्र बाजदायरी अंतर्गत आदेश 9 नियम 9
संपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता एवं धारा 5 मियाद अधिनियम

उपस्थिति :–

(1) श्री राजेन्द्र बैसला, प्रकाश चन्द पाण्डेय – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
(2) श्री हनुमान प्रसाद चौधरी – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 14, 16, 17
(3) श्री ओमप्रकाश वशिष्ठ – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 19 ता 24 की ओर से।

दिनांक 09.09.2025

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 संपठित धारा 151 सीपीसी पेश हुआ। हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. जगन्नाथ, कजोड, हनुमान, छोटू पुत्रान स्व. काना द्वारा उपरोक्त उनवानी वाद संख्या 35/2012 कजोड व अन्य बनाम ग्यारसी देवी व अन्य प्रस्तुत किया था। जिसमें सन् 2017 में वादी संख्या 1 कजोड व वादी संख्या 2 जगन्नाथ की मृत्यू हो गई थी। वादी संख्या 3 हनुमान की मृत्यू सन् 2021 एवं वादी संख्या 4 की मृत्यू सन् 2019 में हो चुकी है। उपरोक्त उनवानी वाद प्रार्थीगण की पुस्तैनी आराजीयात से सम्बंधित वाद है। जिनमें प्रार्थीगण का हित अधिकार निहित है। उपरोक्त वाद के सम्बंध में कभी भी प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही रही है। प्रार्थीगण के पति/पिता की मृत्यू दिनांक 10–06–2023 को हो चुकी है। उनके द्वारा भी उपरोक्त उनवानी वाद की कोई जानकारी नही दी तथा ना ही वह कभी न्यायालय इत्यादी में गये। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सख्या 27 लगायत 49 से सम्पर्क कर जानकारी चाही तो उन्होने भी अनभिज्ञता जाहीर की ओर कहा कि तुम तुम्हारी जमीन की जानो। दिनांक 20–10–2023 को जब प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कर रही थी तो अप्रार्थीगण संख्या । लगायत 17 व 19 लगायत 24 द्वारा प्रार्थीगण को काश्त करने मना किया गया, ओर ऐलानिया कहा गया कि तुम यह जमीन छोड दो। इस जमीन को लेकर तुम लोग हमसे मुकदमा हार चुके हो जिस पर प्रार्थीगण को घोर आश्र्वय हुआ कि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं किया गया तो हारने का सवाल ही उत्पन्न ही नही होता। प्रार्थीगण ने उनसे उनके द्वारा मुकदमा का पूछा तो उक्त अप्रार्थीगण द्वारा कहा गया कि कजोड बनाम ग्यारसी के नाम से तुम्हारा इस जमीन का केस किया गया है जो तुम हार चुके हो। मद नम्बर 5 में वर्णित घटना की जानकारी जयपुर कलेक्ट्रेट जाकर की तो प्रार्थीगण को उनवानी कजोड बनाम ग्यारसी देवी व अन्य के सम्बंध में पता चला जिसकी नकल हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:54:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

किया जिसकी नकल दिनांक 27–10–2023 क. प्राप्त हुई नकल प्राप्ती से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। मियाद प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण को कभी भी उपरोक्त उनवानी वाद की जानकारी नही थी चूंकि उपरोक्त उनवानी वाद उनके हक 3 धिकारो की घोषणा से सम्बंधित वाद है। प्रार्थीगण अपने प्रकरण की पैरवी करने के लिए तैयार, तत्पर एंव इच्छुक है। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने के लिए कटिबद्ध हैं उपरोक्त वर्णित स्थिति एंव परिस्थितियों के आधार पर उक्त प्रकरण को रेस्टोर किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं, ऐसी सूरत में वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायहित में अश्यक हैं ताकि प्रार्थीगण की भूमि से सम्बंधित उनके हक अधिकार सुरक्षित रह सकें। ऐसी स्थिति में मामला गम्भीर प्रकृति का है ऐसे मामलें में प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उक्त मामलें को पुनः नम्बर पर लिया जाना व्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण को उक्त वाद की जानकारी पूर्व में नहीं थी इसलिये प्रार्थीगण की उक्त गलती क्षम्य योग्य होने के कारण एवं प्राकृतिक न्याय व नैसर्गिक सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुये माननीय न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर नरम रूख अपनाकर उनको अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व वाद संख्या 35/2012 बउनवानी कजोड व अन्य बनाम श्रीमती ग्यारसी देवी वगैरा जिसमें दिनांक 08–06–2022 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज फरमा दिया गया को अपास्त किया जाकर किया जाकर उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिये जानें का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या–19 लगायत 24 का जवाब प्रार्थनापत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 प्रार्थनापत्र की मद संख्या–1 विवादित नही है। प्रार्थनापत्र की मद संख्या–2 जिस पत्रकार तहरीर की गयी है असत्य होने के कारण अस्वीकार है। वादग्रस्त सम्पत्ति में वादीगण का कोई अधिकार निहित नही है। प्रार्थीगण ने केवल अवैध लाभप्राप्त करने के उद्देश्य से यह वाद प्रस्तुत किया था जो प्रथम दृष्टया खारिज योग्य था तथा वादीगण को यह मालुम हो चुका था कि वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त नही होगा इसलिये जानबूझकर उक्त वादी को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज फरमाया गया था । प्रार्थनापत्र की मद संख्या–3 जिस प्रकार तहरीर की गयी है असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी क्योकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या लगायत 18 द्वारा अन्य प्रकरण माननीय न्यायालय कलेक्टर महोदय के समक्ष विभाजन की के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा था तथा एक अन्य प्रकरण माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय के समक्ष भी प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें वादीगण के वारिसान व प्रार्थीगण पक्षकारान है। जिनके द्वारा दोनो प्रकरणों में पैरवी की जा रही है तथा उक्त प्रकरण के दस्तावेज भी दोनो प्रकरण में प्रस्तुत है। इस प्रकार प्रार्थीगण का यह कहना

सहायक कलेक्टर
आसेर, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:54:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कि उन्हे प्रकरण की जानकारी नही है स्वयं ही असत्य साबित होता है । प्रार्थनापत्र की मद संख्या–4 जिस प्रकार तहरीर की गयी है, असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण को उक्त वाद की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। प्रार्थीगण केवल जानबूझकर उक्त वाद की अनभिज्ञता बताकर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। जबकि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 18 द्वारा अन्य प्रकरण भी प्रस्तुत कर रखे है। जिनमें प्रार्थीगण नियमित रूप से पैरवी कर रहे है । इस प्रकार उक्त प्रकरण की प्रार्थीगण को पूर्ण जानकारी है। प्रार्थनापत्र की मद संख्या 5 असत्य होने के कारण अस्वीकार है। मिन उत्तरदाता अप्रार्थीगण वाद में वर्णित भूमि कय करने के पश्चात उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही अपनी कयशुदा भुमि पर काबिज काश्त है तथा नियमित रूप से कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। इस प्रकार प्रार्थीगण का मिन उत्तरदाता अप्रार्थी की कृषि भूमि पर काबिज होना या काश्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है तथा प्रकरण की जानकारी प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही है तथा प्रार्थीगण ने केवल अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान कर अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से यह प्रकरण प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। प्रार्थनापत्र की मद संख्या 6 असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण व प्रकरण के तथ्यों के बाबत आरम्भसे ही बखूबी जानकारी रही है। प्रार्थीगण ने केवल जानबूझकर उक्त वाद की अनभिज्ञता बताकर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। इस मद में वर्णित शेष तथ्य केवल नुमाईशी होने के आधार पर स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद नही होने से मियाद बाधित होने के आधार पर खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र की मद संख्या–7 असत्य होने के कारण अस्वीकार है। उक्त वाद में प्रार्थीगंण माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हे प्रकरण के बाबत समुचित जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर उपस्थित नही आये। जिसकी वजह से माननीय न्यायालय के द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध जो कानूनी कार्यवाही अमल में लायी गयी है वह विधि सम्मत रूप से की गयी है। प्रार्थीगण अपनी जानबूझकर की गयी गलती का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र की मद संख्या 8 असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी क्योकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 द्वारा अन्य प्रकरण माननीय न्यायालय कलेक्टर महोदय के समक्ष नामान्तरण की अपील के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा था तथा एक अन्य प्रकरण माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय के समक्ष भी प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें वादीगण के वारिसान व प्रार्थीगण पक्षकारान है। जिनके द्वारा दोनो प्रकरणों में पैरवी की जा रही है तथा उक्त प्रकरण के दस्तावेज भी दोनो प्रकरण में प्रस्तुत है। इस प्रकार प्रार्थीगण का यह कहना कि उन्हे प्रकरण की जानकारी नही है स्वयं ही असत्य साबित होता है । ऐसी स्थित में प्रार्थीगण इस स्तर पर कोई लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र की मद संख्या 9 व 10 कानूनी होने से जवाब अपेक्षित नही है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज करने की कृपा करे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:54:44 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 एवं 16 व 17 की ओर प्रारंभिक आपत्तियां पेश कर अंकित किया कि उक्त वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा मृतक

Scanned with OKEN Scanner

जगनाथ, कजोड़, हनुमान, छोटू पुत्रान स्व. [illegible] की ओर से दिनांक 19.03.2012 को मिन अप्रार्थीगण व अन्य के विरूद्ध पेश किया, जिसमें मिन अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 02.04.2012 को वकालतनामा पेश करने के उपरान्त उक्त पत्रावली शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियत होकर मिन अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 26.09.2012 को जवाब दावा पेश किया जा चुका था। उसके पश्चात दिनांक 01.04.2013 को उक्त मूलवाद में तनकी कायम की जाकर साक्ष्य वादीगण नियत थी। उक्त वाद वादीगण की साक्ष्य में दिनांक 01.04.2013 से लगातार 24 तारीखों पर साक्ष्य का अवसर देते हुए दिनांक 08.01.2016 " उभय पक्ष उपस्थित, साक्ष्य वादी समय चाहते है, आगामी तिथी को आवश्यक रूप से साक्ष्य पेश करे, पत्रावली दिनांक 14.01.2016 को पेश हो। उसके उपरान्त दिनांक 14.01.2016 को वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया तथा आगामी पेशी दिनांक 19.02.2016 पेश हो।" दिनांक 19.02.2016 को अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित वादी साक्ष्य हेतु समय चाहते है पूर्व में साक्ष्य हेतू काफी अवसर दिये जा चुके है, आगामी तिथी को साक्ष्य हेतू अन्तिम अवसर दिया जाता है। उसके उपरान्त भी वादीगण को दिनांक 01.04 2016 से 19.12.2016 तक साक्ष्य का 8 (आठ) अवसर देने के उपरान्त भी वादीगण ने साक्ष्य पेश नहीं किया। जो पूर्व में न्यायालय के आदेशों की साक्ष्य हेतु कोई पालना नहीं की गई। जो वादी की घोर लापरवाही का जीता जागता नमूना है। वैसे भी जाप्ता दीवानी एवं साक्ष्य अधिनियम के तहत वादीगण को अपनी साक्ष्य मात्र दो तारीख पेशी में अनिवार्य रूप से पेश करनी अनिवार्य है। उसके पश्चात उक्त मूल वाद में दिनांक 24.01.2017 वादीगण को साक्ष्य हेतु एक अवसर ओर दिया जाता है। उसके पश्चात भी पत्रावली दिनांक 30.05.2017 को लोक अदालत केम्प कोर्ट चतरपुरा में पेश हुई समस्त पक्षकारान उपस्थित नही। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 28.07. 2017 को पेश हो। इतना लिखने पर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम वादी नम्बर 1 व 2 (कजोड़ व जगन्नाथ) का पेश हुआ। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित उनवान दिनांक 28. 07.2016 को पेश हो। दिनांक 08.12.2017 को पक्षकारान उपस्थित प्रार्थना पत्र कायमी मुकाम वारिस 1 व 2 स्वीकार किया जाता है। साक्ष्य वादीहेतू जून 2013 से नियत है। अतः आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से संशोधित उनवान व साक्ष्य वादी पेश करे, पत्रावली दिनांक 04.01.2018 को पेश हो। दिनांक 04. 01.2018 को वादीगण की ओर से आदेश 7 नियम 14 सी.पी. सी. पेश हुआ वास्ते जवाब दिनांक 06.2.2018 को पेश हो। इसके पश्चात दिनांक 14.06.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 पेश हुआ वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2019 को पेश हुआ। उसके पश्चात उक्त पत्रावली दिनांक 08.01.2021 को वादी ने आदेश 07 नियम 14 के प्रार्थना पत्र के बहस हेतु न्याय हित में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 01. 02.2021 को पेश [illegible] ने आदेश 07 नियम 14 की बहस के लिए 11 अवसर देने के उपरान्त दिनांक 11.[illegible].2022 " पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष आगामी तारीख पेशी पर 07 नियम 14 [illegible] पर आवश्यक रूप से बहस करे अन्यथा प्रार्थना पत्र गुणावगुण के आधार पर निस्तारित [illegible] वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 दिनांक 16.05.2022 को पेश हो। उसके पश्चात दिनांक 08.06.2022 को उक्त वाद वादी व वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित होने अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया। चूंकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:54:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उक्त प्रकरण में वादी नम्बर 1 कजोड । व वादी नम्बर 2 जगन्नाथ के कायम मुकाम का प्रार्थना दिनांक 08.12.2017 को स्वीकार होने के पश्चात आज तक भी संशोधित उनवान पेश नहीं किया तथा उसके पश्चात वादी नम्बर 3 हनमान का देहान्त दिनांक 24.04.2020 को हो चुका है तथा वादी नम्बर 4 छोटू का देहान्त दिनांक 19.09.2019 को हो चुका है। जिनके वारिसान को आज तक मूल वाद में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया अतः वादीगण का वाद स्वतः ही अबेट होने से खारिज हो चुका है। उक्त प्रर्थना पत्र मात्र चार वादियों में से एक वादी मृतक जगन्नाथ का एक पुत्र श्रवण जो दिनांक 10.06.2023 को फोत हुआ है तथा मूल वाद में आज तक भी प्रार्थीगण मृतक श्रवण के स्थान पर रिकार्ड पर नहीं आये। इसलिए उन्हे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त वाद में चार वादीगण 1. कजोड़ 2. जगन्नाथ 3. हनुमान 4. छोटू ने पेश किया है तथा 1. कजोड़ व 2. जगन्नाथ के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.07. 2017 को पेश किया जो कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.07.2017 को पेश किया जो दिनांक 08. 12.2017 को स्वीकार होने के पश्चात वाद में दिनांक 08.06.2022 तक संशोधित उनवान तक पेश नहीं किया तथा वादी नम्बर 3 हनुमान व वादी नम्बर 4 छोटू का भी दौराने वाद 2019 व 2020 में देहान्त हो चुका है जिसकी जानकारी वादीगण को थीं। परन्तु उन्होने जानबूझकर मृतकों के वारिसान का कायम मुकाम पेश नहीं किया। इस प्रकार वादीगण उक्त वाद में शुरू से ही घोर लापरवाही एवं सुयोग्य न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। उक्त बाजदायरी प्रार्थना पत्र में जो वादी नम्बर 1 व वादी नम्बर 2 के वारिसान को तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 27 से 39 बनाया है एवं मृतक हनुमान व मृतक छोटू के वारिसान को अप्रार्थीगण 40 से 49 बनाया है। जबकि मृतक हनुमान व छोटू जो कि हनुमान का देहान्त दिंनाक 24.04. 2020 में एवं छोटू का देहान्त दिनांक 19.09.2019 में हो चुका है तथा उक्त मूल वाद में ही जब प्रार्थीगण 40 से 49 पक्षकारान नहीं थे तो उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छा हाथों से प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र काबिज खारिज योग्य है। उक्त विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में एवं दावा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा संख्या 491/2008 कजो। ड़ व अन्य बनाम नारायण वगैरा प्रस्तुत किया तथा दूसरा दावा मिन अप्रार्थीगण के बुजुर्गो ने नारायण वगैराह बनाम कजोड़ वगैराह इसी आराजीयात के सम्बन्ध में इसी आराजीयात का स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जिस पर सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर ने कजोड व अन्य का दावा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का खारिज दिनांक 03.07.2012 को किया तथा मिन अप्रार्थीगण का दावा स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 03. 07.2012 को डिकी किया। इसी दौरान वादीगण कजोड़ [illegible] दूसरा दावा इसी आराजीयात के तहत पेश किया जो दिनांक 08.06.20[illegible] कजोड़ व अन्य ने उक्त निर्णय दिनांक 03.07.2012 की दो अपीले माननीय [illegible] जयपुर के प्रस्तुत अपील संख्या 299/2012 एवं 301/2012 जो दोनो पक्षों को सुनकर [illegible]नांक 10.05.2016 को खारिज की। जिसके विरूद्ध कजोड़ व अन्य मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध दो अपीले माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील संख्या – 3388/2016 व अपील संख्या–3389/2016 उनवानी कजोड़

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:54:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

व अन्य बनाम नारायण व अन्य प्रस्तुत की, जो दोनो पक्षों को सुनकर दिनांक 27–02–2017 को खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया उक्त पूर्व के निर्णयों से पाबन्द है अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मदवार भी पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 1 में जिस प्रकार से लिखा गया, वादीगण कजोड़ व अन्य का वाद संख्या 35/2012 प्रस्तुत करना स्वीकार है तथा चारो वादीगण कजोड़ व जगन्नाथ की मृत्यु 2017 में होना स्वीकार है। परन्तु वादी नम्बर 3 हनुमान की मृत्यु सन् 2021 में नहीं होकर दिनांक 24.04.2020 को हुई है तथा वादी नम्बर 4 छोटू की मृत्यु दिनांक 19.09.2019 को होना स्वीकार है। प्रार्थीगण के पिता श्रवण व दादा स्व. जगन्नाथ का स्व. कजोड़, स्व. हनुमान व स्व. छोटू के मध्य उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में लगभग 35 वर्षों से उक्त भूमि के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में विवाद विचाराधीन है, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजो को उक्त वाद की पूर्ण जानकारी रही है। अप्रार्थी संख्या 27 लगायत 49 एवं प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा एक ही मकान में निवास करते है। इस प्रकार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 27 लगायत 49 ने यह प्रार्थना पत्र कपट पूर्वक एवं वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पेश किया है। प्रार्थीगण का दिनांक 20.10.2023 का वाका मनगढन्त एवं बनावटी होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया उक्त वाद में पक्षकार ही नहीं है तो उसे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण के पूर्वज उक्त वाद में 2012 से दिनांक 08.06.2022 तक कोई ध्यान नहीं दिया और न ही न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की, जिसका प्रारम्भिक आपत्ति में स्पष्ट विवेचन किया जा चुका है तथा प्रार्थीगण एवं उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया है। वास्तविक तथ्यों को छुपाया है। इसलिए किसी भी सूरत में उक्त वाद पुनः नम्बर पर नहीं लिया जा सकता है। मूल वाद में ही प्रार्थीगण जाब पक्षकार नहीं है तथा अप्रार्थी नम्बर 27 लगायत 49 जिनको प्रार्थीगण ने दुर्भिसंधि करके तरतीबी पक्षकार बनाकर उक्त वाद किसी भी सूरत में पुनः नम्बर पर नहीं लिया जा सकता है।

विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब, दस्तावेजात एवं कानूनी नजीरो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जाहिर किया है कि वाद संख्या 35/2012 कजोड व अन्य बनाम ग्यारसी देवी व अन्य प्रस्तुत किया था। जिसमें सन् 2017 में वादी संख्या 1 कजोड व वादी संख्या 2 जगन्नाथ की मृत्यू हो गई थी। वादी संख्या 3 हनुमान की मृत्यू सन् 2021 व वादी संख्या 4 की मृत्यू सन् 2019 में हो चुकी है। उपरोक्त उनवानी वाद प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी खाता से सम्बंधित वाद है। जिनमें प्रार्थीगण का हित अधिकार निहित है। उपरोक्त वाद के सम्बंध में कभी भी प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही रही है। प्रार्थीगण के पिता श्रवण की मृत्यू दिनांक 10–06–2023 को हो चुकी है। उनके द्वारा भी उपरोक्त उनवानी वाद की कोई जानकारी नही दी तथा ना ही वह कभी न्यायालय इत्यादी में गये। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:54:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर प्र. जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 18 द्वारा अन्य प्रकरण माननीय न्यायालय कलेक्टर महोदय के समक्ष नामान्तरण की अपील के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा था तथा एक अन्य प्रकरण माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय के समक्ष भी प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें वादीगण के वारिसान व प्रार्थीगण पक्षकारान है। जिनके द्वारा दोनो प्रकरणों में पैरवी की जा रही है तथा उक्त प्रकरण के दस्तावेज भी दोनो प्रकरण में प्रस्तुत है। जोकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से साबित है। इस प्रकार प्रार्थीगण का यह कहना कि उन्हे प्रकरण की जानकारी नही है स्वयं ही असत्य साबित होता है । इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनिय है कि मूलवाद में प्रार्थीगण पक्षकार ही नहीं थे। जबकि उनके पिता द्वारा तत्समय यह प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया तथा प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 10.06.2023 को हुई है जिससे स्पष्ट है कि उनके वारिसान द्वारा प्रार्थना पत्र लगभग 510 दिनो के विलम्ब से है। तथा RBJ (17) 2010 PAGE 628 मे प्रतिपादित किया गया है कि *When after the death of appeallant plaintiff no application was filed for bringing the LR,S of the appellant on record- Delay is of 778 day- Abatment is automatic and no specific order is required.* फलस्वरूप प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथो से पेश नहीं किया है।

हमने बहाली आवेदन के साथ–साथ सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत इसे दाखिल करने में देरी की माफी के लिए दायर प्रार्थना पत्र का भी अवलोकन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहाली के लिए आवेदन में, सभी प्रासंगिक तथ्य न केवल यह दिखाने के लिए बताए गए हैं कि वादी के पास 08.06.2022 को गैर–हाजिर रहने का पर्याप्त कारण नहीं है, बल्कि बहाली आवेदन दाखिल करने में देरी की माफी के लिए भी पर्याप्त कारण नहीं बताए गए हैं। यही कारण है कि देरी की माफी के लिए याचिका में, यह केवल कहा गया है कि बहाली आवेदन में बताए गए तथ्यों को बहाली आवेदन दाखिल करने में देरी की माफी के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है जैसा कि RBJ (14) 2007 PAGE 438 में कहां गया है कि *When there is no satisfactory reason for condoning delay, it cannot be condoned.* तथा AIR 1998 SUPREME COURT 2276 में कहां गया है कि *Delay condoned without recording satisfaction of reasonable or satisfactory explanation for inordinate delay.* उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र बाजदायरी एवं धारा– 5 मियाद अधिनियम बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र बाजदायरी एवं धारा– 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:54:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Scanned with OKEN Scanner